3074
धनीराम

न्यायालय : - तहसीलदार
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460506636
वाद संख्या:- 6636/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम धनीराम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं०-

ग्राम दोना

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी नें अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय / मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं0 00847 की गाटा सं० 3074/0.6440 हे0 में से विक्रीत रकबा 0.1610हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री धनीराम पुत्र राम गुलाम निवासी उलरापुर, शंकरपुर, नेवलगंज, उन्नाव, उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 24.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं० 1392

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

03 PM

3074
बालेन्द्र आदि

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,खुशहालगंज (पी-2)
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202510460537369
वाद संख्या:- 37369/2025
प्रवेश कुमार नायब तहसीलदार बनाम बालेन्द्र सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 30/12/2025

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम दोना, परगना काकोरी, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426-1431 फसली के खाता संख्या 00847 की गाटा संख्या 3074 रकबा 0.6440 हे0 मे से विक्रीत रकबा 0.1610 हे0 मा०गु० 60ख से विक्रेता बालेन्द्र सिंह व श्री महेन्द्र सिंह पुत्रगण हरीकृष्ण निवासीगण-ग्राम-उलरापुर, नेवलगंज, जनपद उन्नाव का नाम पृथक करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र नायब तहसीलदार, लखनऊ विकास प्राधिकरण नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा 29.09.2025 अंकित हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

M

Court Order Print

3074
रामशंकर।

न्यायालय : - नायब तहसीलदार,बिजनौर
मण्डल :लखनऊ , जनपद :लखनऊ , तहसील :सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460501047
वाद संख्या:- 1047/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम रामशंकर
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/03/2026

प्रस्तुत वाद लेखपाल हस्तान्तरण रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया गया उसमे विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। लेखपाल के बयान से स्पष्ट है कि भूमि का सम्बन्ध सीलिंग, भूदान, ग्राम समाज की नही है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। यह विक्रय विलेख उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामातंरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1426 से 1431 फसली के खाता संख्या 00864 गाटा संख्या 3074 रकबा 0.6440 हे0 में से विक्रीत रकबा 0.1560 हे0 अपना सम्पूर्ण भाग मा0गु0 60ख से विक्रेता राम शंकर पुत्र राम गुलाम निवासी-दोना, लखनऊ उ0प्र0 का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत-वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"